राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 30.03.2016

जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,

समस्त राजस्थान।

विषयः – लाभार्थियों के घर के नजदीक नगद लाभ आहरण सुनिश्चित करने बाबत्।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, जननी सुरक्षा योजना आदि योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में अब तक 1500 करोड रूपये से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। लाभार्थियों को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ई–मित्रों को माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवाई गई है ताकि लाभार्थी गांव में ही राशि आहरित कर सकें, लेकिन कतिपय स्थानों पर निम्न कारणों से माइक्रो एटीएम मशीनों से राशि आहरित नहीं की जा रही है, जिसे मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

1. स्थानीय प्रशासन द्वारा ई–मित्रों पर स्थापित माइक्रो एटीएम मशीनों से राशि आहरण सुविधा का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं होना।
2. बैंको द्वारा रूपे कार्ड व पिन कोड का सभी लाभार्थियों को वितरण नहीं होना।
3. वितरित हो चुके रूपे कार्डो का एक्टिव नहीं होना।
4. कतिपय ई–मित्रों/बी.सी. द्वारा राशि आहरण में रूचि नहीं लेना।

अतः यह आवश्यक है कि जिला व ब्लॉक स्तर पर माइक्रो एटीएम मशीनों से राशि आहरण की प्रगति की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करते हुए इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। इसके अतिरिक्त बैंकों के पास अवितरित रूपे कार्ड व पिन कोड के वितरण एवं माइक्रो एटीएम मशीनों से राशि आहरण हेतु दिनांक 08.04.2016 से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष बैठक/शिविर का आयोजन करावें। इनमें बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन व नरेगा के सभी लाभार्थियों के पास एक्टिव रूपे कार्ड की उपलब्धता एवं माइक्रो एटीएम मशीनों से राशि आहरण सुनिश्चित करावें। यदि कोई ई–मित्र/बी.सी. द्वारा राशि आहरण में रूचि नहीं लेता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

इस सम्बन्ध में आपके जिले की प्रगति से दिनांक 09.04.2016 तक अवगत करावें ताकि दिनांक 11.04.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस से पूर्व मुख्य सचिव महोदय को प्रगति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(अखिल अरोरा)

शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 30.03.2016

प्रतिलिपिः–

1 वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.............
3 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
4 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
5 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव